न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 03/2021

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
जयनारायण पुत्र मांगीलाल जाति प्रजापत निवासी जायल तहसील जायल जिला नागौर।		1सरकार जरिये तहसीलदार जायल। 2पटवारी जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री ओम प्रकाश गौड अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक:22.09.2021

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 07/2020 सरकार बनाम जयनारायण में निर्णय दिनांक 08.10.2020 के तहत मौजा जायल के खसरा नं. 1427 गै.मु. तालाब भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 03.11.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 18.01.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार जायल के निर्णय दिनांक 08.10.20 की फोटोप्रति, ऑर्डरशीट की फोटोप्रति, पत्र दिनांक 8.10.20 की फोटोप्रति, फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 12.10.20 की फोटोप्रति, पत्र दिनांक 10.10.20 की फोटोप्रति, जवाब की फोटोप्रति, मूलापुरी, सुरेश कुमार, कमल किशोर, पवन कुमार, रामजीवण तथा हुक्मीचंद के शपथ पत्र की प्रतियां पेश की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि व तथ्यो के विपरीत पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील अपीलांट व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति मे एकपक्षीय रूप से बिना जवाब लिये, बिना विधिवत सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय रूप से पारित कर दिया, जो आदेश नैसर्गिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तो के विपरीत पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

{2}(III)–विवादित भूमि पर अपीलांट ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया, ना ही वर्तमान मे कब्जा है, किन्तु केवल मात्र सरपंच से अपीलांट की अनबन होने की वजह से पटवारी से मिलावट कर अतिक्रमण बाबत झूठी रिपोर्ट पेश करवा दी, जबकि अपीलांट सरकारी कर्मचारी है एवं अपीलांट ने कभी किसी भी भूमि पर अतिक्रमण नही किया, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच किये केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट को ही आधार मानकर जो आदेश जैर अपील पारित किया है। वह निरस्तनीय है।

{2}(IV)–धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही मे अधीनस्थ न्यायालय को केवल बेदखली, जुर्माना या सिविल कारावास का आदेश पारित करने का ही अधिकार है, इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का आदेश देने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नही था, न है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विभागीय कार्यवाही किये जाने बाबत जो आदेश जैर अपील

अपर कलक्टर, नागौर

पारित किया है, वह निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 1973 पेज 6 से 8 नजीर प्रस्तुत की।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र तीन दिवस मे आनन फानन मे आदेश जैर अपील पारित किया है। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायलय ने किसी प्रकार की जांच ही नही की। यहां तक कि निर्णय के दिन ही अपीलांट के विरूद्व विभागीय कार्यवाही बाबत मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पत्र प्रेषित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की उक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सिर्फ अपीलांट को नुकसान पहुंचाने की गरज मात्र से ही आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा जायल में स्थित गै.मु. तालाब भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके जायल के खसरा नंबर 1427 गै.मु. तालाब भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. तालाब है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर,
नागौर